[2019] 14 एस.सी.आर. 999

एमएस उत्तराखंड पूर्व सैनिक

कल्याण निगम लिमिटेड

बनाम

नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11476 2018)

27 नवंबर 2019

**[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जे.जे.]**

*मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 11 - क्या उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ के लिए धारा 11 के तहत दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज करना उचित था कि यह सीमा से वर्जित था - पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता - के बीच विवाद उत्पन्न हुआ उन्हें - याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को मध्यस्थता खंड के संदर्भ में एक एकमात्र मध्यस्थ को नामित करने के लिए नोटिस भेजा - प्रतिवादी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया - याचिकाकर्ता ने नियुक्ति करने के लिए उच्च न्यायालय की डिफ़ॉल्ट शक्ति का उपयोग करते हुए धारा 11 के तहत आवेदन दायर किया एकमात्र मध्यस्थ - उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के दावे सीमा से वर्जित थे, और इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता था - इसलिए तत्काल विशेष अनुमति अपील - आयोजित: मध्यस्थता की सूचना 09.03 को जारी की गई थी। 2016 - चूंकि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11 में संशोधन के बाद मंगलाचरण हुआ, जो 23.10.2015 को लागू हुआ, संशोधित प्रावधान तत्काल मामले पर लागू है - धारा 11 में निहित विधायी जनादेश के मद्देनजर ( 6ए), न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है - अन्य सभी प्रारंभिक या प्रारंभिक मुद्दों को धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया था, जो कॉम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत को स्थापित करता है - "कॉम्पेटेंज़-" का सिद्धांत कॉम्पेटेंज़, जिसे "क्षमता-क्षमता", या "क्षमता डे ला मान्यता प्राप्त" के रूप में भी जाना जाता है, का तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है और उसके पास सभी क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों और अस्तित्व या वैधता का निर्धारण करने सहित अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार पर शासन करने की क्षमता है। मध्यस्थता*

*समझौता - इस सिद्धांत का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया को दहलीज पर विफल न किया जाए, जब किसी एक पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है - धारा 16 के प्रावधानों और विधायी के मद्देनजर पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने की नीति, परिसीमा के मुद्दे को मध्यस्थ द्वारा तय करने की आवश्यकता होगी - इस प्रकार, परिसीमा का मुद्दा एक क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा है, जिसे धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा तय करने की आवश्यकता होगी , न कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्व-संदर्भ चरण में उच्च न्यायालय - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध करने के लिए प्रतिवादी कंपनी द्वारा सीमा का मुद्दा उठाया गया था। न्यायालय - परिसीमा का मुद्दा एक क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा है, इसे धारा 16 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना है, जो अनैतिक मॉडल कानून के अनुच्छेद 16 पर आधारित है जो कॉम्पेटेंज़े सिद्धांत को स्थापित करता है - इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश है , अलग रखा गया - सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया - पार्टियों को 02.12.2019 को मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया - मामले का निपटारा किया गया - कॉम्पेटेन्ज़-कोम्पेटेन्ज़ का सिद्धांत।*

*सिद्धांत/सिद्धांत: कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ का सिद्धांत - की प्रयोज्यता, अपवाद - माना गया: सिद्धांत अपवाद के अधीन है यानी जब मध्यस्थता समझौते पर धोखाधड़ी या धोखे से प्राप्त होने का आरोप लगाया जाता है - यह अपवाद उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बातचीत की प्रक्रिया में पार्टियों ने, अंतिम अनुबंध को निष्पादित करने से पहले एक पूर्ववर्ती कदम के रूप में एक मसौदा समझौते में प्रवेश किया हो सकता है - मसौदा समझौता केवल मध्यस्थता का प्रस्ताव होगा, और समझौते की शर्तों की एक स्पष्ट स्वीकृति नहीं होगी - एस। अनुबंध अधिनियम, 1872 के 7 में अनुबंध की स्वीकृति को पूर्ण और अयोग्य होना आवश्यक है - यदि कोई मध्यस्थता समझौता वैध या अस्तित्वहीन नहीं है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवादों पर फैसला देने का अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकता है - मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है यदि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में नहीं है, या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हैं - न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V(1)(ए) में यह भी कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता होने पर किसी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। 'उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके तहत पार्टियों ने इसे लागू किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में, उस देश के कानून के तहत वैध नहीं है जहां पुरस्कार दिया गया था' - मध्यस्थता कानून - अनुबंध अधिनियम, 1872 - धारा 7।*

आईटीडब्ल्यू साइनोड इंडिया लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर **(2004) 3 एससीसी 48: [2003] 5 सप्लिमेंट एससीआर 751;** एनटीपीसी बनाम सीमेंस एटकेन गेसेल शाफ़्ट **(2007) 4 एससीसी 451: [2007] 3 एससीआर 399;** एमएस। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम भद्रा प्रोडक्ट्स **(2018) 2 एससीसी 534: [2018] 1 एससीआर 848 - पर भरोसा किया गया।**

एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड **(2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 सप्लिमेंट एससीआर 688 ;** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड **(2009) 1 एससीसी 267: [2008] 13 एससीआर 638;** भारत संघ एवं अन्य। वी. मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी, **(2011) 12 एससीसी 349: [2011] 5 एससीआर 853;** ड्यूरो फेलगुएरा एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड **(2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285;** ड्रेसर रैंड एसए बनाम बिंदल एग्रो-केम लिमिटेड **(2006) 1 एससीसी 751: [2006] 1 एससीआर 308 - संदर्भित।**

**<u>केस कानून संदर्भ</u>**

**[2005] 4 पूरक। एससीआर 688 पैरा 9.4 को संदर्भित करता है**

**[2008] 13 एससीआर 638 पैरा 9.4 को संदर्भित करता है**

**[2011] 5 एससीआर 853 पैरा 9.4 को संदर्भित करता है**

**[2017] 10 एससीआर 285 पैरा 9.7 को संदर्भित करता है**

**[2006] 1 एससीआर 308 पैरा 9.9 को संदर्भित करता है**

**[2003] 5 पूरक। एससीआर 751 पैरा 9.12 पर निर्भर था**

**[2007] 3 एससीआर 399 पैरा 9.12 पर निर्भर था**

**[2018] 1 एससीआर 848 पैरा 9.12 पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11476 2018

2016 के मध्यस्थता मामले संख्या 56 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2018 से

कैलाश पांडे, रणजीत सिंह, सुश्री ज्योति कुमार मिश्रा, सुश्री सुष्मिता मिश्रा (गाइचांगपौ गंगमेई के लिए), सलाहकार याचिकाकर्ता के लिए।

अश्वनी कुमार दुबे, पंकज शर्मा, चंद्र शेखर मिश्रा, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का आदेश **इंदु मल्होत्रा, जे.** द्वारा पारित किया गया था

1. जो मुद्दा विचार के लिए उठा है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ के लिए धारा 11 के तहत दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज करना उचित था कि इस पर रोक लगा दी गई थी। सीमा.

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पार्टियों के बीच दिनांक 21.12.2010 को हुए एक समझौते से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता - ठेकेदार को सहमत अनुबंध दरों के अनुसार, जरूरत के आधार पर प्रतिवादी - कंपनी को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करनी थी।

समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था जो इस प्रकार है:

**"13. मध्यस्थता:**

*13.1 यदि इसके बाद किसी भी समय पार्टियों या संबंधित या नियुक्तियों के बीच अनुबंध, उसके प्रावधान के आवेदन, उसके तहत निहित किसी भी चीज़ के संबंध में कोई विवाद, मतभेद, प्रश्न या असहमति उत्पन्न होती है। या उसके तहत उत्पन्न होने वाले या यहां उक्त पार्टियों के अधिकारों, देनदारियों या कर्तव्यों के संबंध में या इस अनुबंध से संबंधित किसी भी मामले को एनसीएल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ठेकेदार को ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया मध्यस्थ एनसीएल का कर्मचारी है या उसने अनुबंध से संबंधित मामले को निपटाया है और एनसीएल कर्मचारियों के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने सभी मुद्दों पर विचार व्यक्त किए हैं। विवाद या मतभेद का कोई भी मामला।*

*13.2 यदि मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, की मृत्यु हो जाती है या कार्य करने से इनकार कर दिया जाता है या मध्यस्थ के पद से किसी भी कारण से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो एनसीएल के निदेशक (कार्मिक) के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना वैध होगा। ऐसा व्यक्ति उस*

*चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर इसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था या डेनोवो से पहले।*

*13.3 इस बात पर सहमति है कि उपरोक्तानुसार एनसीएल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा।*

*13.4 अनुबंध की शर्त यह है कि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत काम नहीं रोकेगा और काम जारी रहेगा, चाहे मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई हो या नहीं।*

*13.5 इस अनुबंध की शर्त यह है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवाद को निर्दिष्ट करेंगे।*

*13.6 मध्यस्थ उसे संदर्भित प्रत्येक मतभेद के संबंध में उचित निर्णय देगा। उपरोक्तानुसार पुरस्कार अंतिम होगा और कानून के अनुसार इस अनुबंध के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।*

*13.7 मध्यस्थता का स्थान भारत में सिंगरौली में होगा और उपरोक्त के अधीन, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और कोई भी वैधानिक संशोधन या उसके तहत बनाए गए नियम और उस समय लागू होने वाले नियम मध्यस्थता पर लागू होंगे। इस खंड के तहत कार्यवाही।*

3. प्रतिवादी - कंपनी द्वारा अनुबंध के तहत राशि के भुगतान और चल रहे बिलों से सुरक्षा राशि की कटौती के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।

याचिकाकर्ता - ठेकेदार ने 29.05.2013 को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें रुपये की राशि के भुगतान की मांग की गई। 1,43,69,309/- प्रतिवादी - कंपनी से ब्याज सहित।

4. 09.03.2016 को, याचिकाकर्ता - ठेकेदार ने मध्यस्थता का एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी - कंपनी से पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता खंड के संदर्भ में एक एकमात्र मध्यस्थ को नामित करने का आह्वान किया गया।

प्रतिवादी - कंपनी ने दिनांक 09.03.2016 के नोटिस का जवाब नहीं दिया।

5. याचिकाकर्ता - ठेकेदार ने 30.05.2016 को प्रतिवादी - कंपनी को एक और नोटिस भेजा, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री जय सिंह का नाम प्रस्तावित किया गया।

प्रतिवादी - कंपनी ने इस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।

6. याचिकाकर्ता - ठेकेदार ने 20.09.2016 को धारा 11 के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए उच्च न्यायालय की डिफ़ॉल्ट शक्ति का उपयोग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से माना कि याचिकाकर्ता - ठेकेदार के दावों को सीमा से रोक दिया गया था, और इसलिए 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

8. दिनांक 11.01.2018 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और दलीलों पर गौर किया है।

9.1 1996 अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान है कि मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त होता है।

9.2. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता - ठेकेदार द्वारा प्रतिवादी - कंपनी को 09.03.2016 को मध्यस्थता का नोटिस जारी किया गया था।

2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11 में संशोधन के बाद आह्वान हुआ, जो 23.10.2015 को लागू हुआ, संशोधित प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होगा।

9.3. 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 11 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया: सबसे पहले, नियुक्ति की डिफ़ॉल्ट शक्ति अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मध्यस्थता में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गई; दूसरा, धारा 11 की उपधारा (6ए) के तहत क्षेत्राधिकार का दायरा पूर्व-संदर्भ चरण में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित था।

9.4. 2015 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति की शक्ति की प्रकृति, या धारा 11 के तहत उनके पदनाम को लेकर बहुत विवाद हुआ था।

एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश की शक्ति के दायरे को परिभाषित किया। न्यायालय ने माना कि धारा 11 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का दायरा पहले यह तय करना था:

i.क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता था; और

ii.क्या जिस व्यक्ति ने धारा 11 के तहत अनुरोध किया है, वह मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष था; और

iii. क्या प्रस्ताव बनाने वाली पार्टी ने उचित उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश को क्षेत्राधिकार, समझौते के अस्तित्व, क्या दावा मृत था, के संबंध में सभी प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी; या एक कालातीत दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई है; या क्या पार्टियों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके लेनदेन पूरा किया था, और पूर्व-संदर्भ चरण में धारा 11 के तहत आपत्ति के बिना अंतिम भुगतान प्राप्त किया था।

पटेल इंजीनियरिंग (सुप्रा) में निर्णय का पालन इस न्यायालय द्वारा बोघारा पॉलीफैब, मास्टर कंस्ट्रक्शन और अन्य निर्णयों में किया गया।

9.5 विधि आयोग ने 246वीं रिपोर्ट4 में सिफारिश की है कि:

*"आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को लगता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहां तक हस्तक्षेप की प्रकृति का सवाल है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट है, तो वह मध्यस्थ को नियुक्त करेगा और/या पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा। मामला हो सकता है. संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पार्टियों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा, केवल अगर उसे पता*

*चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह शून्य और शून्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। "*

9.6. विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर, धारा 11 को 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा काफी हद तक संशोधित किया गया था, ताकि एक गैर-विषयक खंड द्वारा शक्ति के दायरे पर दिए गए सभी पिछले निर्णयों के प्रभाव को दूर किया जा सके, और कॉम्पेटेन्ज़-कोम्पेटेन्ज़ सिद्धांत को सुदृढ़ किया जा सके। 1996 अधिनियम की धारा 16 में निहित।

2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 11 में उप-धारा (6 ए) शामिल की, जो यह प्रदान करती है कि:

*"उप-धारा (4) या उप-धारा के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय (5) या उप-धारा (6), किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगी।"*

धारा 11(6ए) में शामिल गैर-अप्रत्याशित खंड के आधार पर, पटेल इंजीनियरिंग (सुप्रा) और बोघारा पॉलीफैब (सुप्रा) में दिए गए पिछले निर्णयों को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया था। परीक्षण का दायरा अब केवल धारा 11 चरण में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक ही सीमित है, और इससे अधिक कुछ नहीं।

9.7 ड्यूरो फेलगुएरा एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि:

*"धारा 11(6ए) को पढ़ने से, विधायिका का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है यानी न्यायालय को केवल यही करना चाहिए और इसकी आवश्यकता है एक पहलू पर गौर करें- मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। यह निर्णय लेने के लिए कारक क्या हैं कि कोई मध्यस्थता समझौता है या नहीं, यह अगला प्रश्न है। इसका समाधान सरल है-यह देखने की जरूरत है कि क्या समझौते में कोई खंड शामिल है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है।"*

9.8 धारा 11(6ए) में निहित विधायी आदेश के मद्देनजर, न्यायालय को अब केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है। अन्य सभी प्रारंभिक या प्रारंभिक मुद्दों को धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया है, जो कॉम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत को स्थापित करता है।

9.9. "कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़" के सिद्धांत को "कॉम्पेटेंस-कॉम्पेटेंस" या "कॉम्पेटेंस डे ला मान्यता प्राप्त" के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है और उसके पास अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता है, जिसमें सभी क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का निर्धारण भी शामिल है। , और मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व या वैधता। इस सिद्धांत का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है, ताकि किसी एक पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने पर मध्यस्थता प्रक्रिया को विफल न किया जाए।

कॉम्पेटेन्ज़-कोम्पेटेन्ज़ का सिद्धांत, हालांकि, अपवाद के अधीन है। जब मध्यस्थता समझौते को धोखाधड़ी या धोखे से प्राप्त किया गया माना जाता है। यह अपवाद उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बातचीत की प्रक्रिया में पार्टियों ने अंतिम अनुबंध को निष्पादित करने से पहले एक पूर्ववर्ती कदम के रूप में एक मसौदा समझौते में प्रवेश किया होगा। मसौदा समझौता केवल मध्यस्थता का प्रस्ताव होगा, न कि समझौते की शर्तों की स्पष्ट स्वीकृति। अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के अनुसार अनुबंध की स्वीकृति को पूर्ण और अयोग्य होना आवश्यक है6। यदि कोई मध्यस्थता समझौता वैध या अस्तित्वहीन नहीं है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकता है। यदि मध्यस्थता समझौता लिखित में नहीं है, या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हैं, तो मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V(1)(ए) में कहा गया है कि किसी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है यदि मध्यस्थता समझौता 'उस कानून के तहत वैध नहीं है जिसके लिए पार्टियों ने इसे अधीन किया है या, उस पर कोई संकेत न मिलने पर, उस देश के कानून के तहत जहां पुरस्कार दिया गया था'।

9.10. 1996 के अधिनियम में अंतर्निहित विधायी मंशा पार्टी की स्वायत्तता और मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप है। इस व्यवस्था के तहत, एक बार मध्यस्थ नियुक्त

हो जाने या न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, सभी मुद्दों और आपत्तियों का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है।

9.11. धारा 16 के प्रावधानों और पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने की विधायी नीति के मद्देनजर, सीमा के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

धारा 16 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में "किसी भी आपत्ति सहित" अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन कर सकता है। धारा 16 एक समावेशी प्रावधान के रूप में है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा। परिसीमा का मुद्दा एक न्यायिक मुद्दा है, जिसे धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना आवश्यक होगा, न कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्व-संदर्भ चरण में उच्च न्यायालय द्वारा। एक बार मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवादित नहीं होने पर, क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों सहित सभी मुद्दों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।

9.12. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी - कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध करने के लिए सीमा का मुद्दा उठाया गया था।

सीमा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। आईटीडब्ल्यू साइनोड इंडिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज7 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि सीमा के प्रश्न में अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल है। सीमा के मुद्दे पर निष्कर्ष एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा होगा। इस तरह के क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे का निर्धारण तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

एनटीपीसी बनाम सीमेंस एटकेन गेसेल शाफ़्ट8 में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण 1996 अधिनियम की धारा 16 के तहत सीमा से निपटेगा। यदि न्यायाधिकरण को पता चलता है कि दावा मृत है, या दावा सीमा के कारण वर्जित है, तो इन मुद्दों का निर्णय दावे के गुण-दोष के आधार पर होगा। धारा 16 की उपधारा (5) के तहत, अधिकरण का दायित्व है कि वह याचिका पर निर्णय करे; और यदि वह याचिका खारिज कर देता है, तो मध्यस्थता कार्यवाही जारी रहेगी, और न्यायाधिकरण निर्णय देगा। उपधारा (6) के तहत ऐसे मध्यस्थ फैसले से व्यथित पक्ष धारा 34 के तहत फैसले को चुनौती दे सकता है।

मेसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम भद्रा प्रोडक्ट्स में इस न्यायालय ने माना कि सीमा का मुद्दा एक क्षेत्राधिकार का मुद्दा है, इसे धारा 16 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना है, जो अनैतिक मॉडल कानून के अनुच्छेद 16 पर आधारित है जो स्थापित करता है प्रतिस्पर्धा सिद्धांत.

10. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.01.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं, और निर्देश देते हैं कि सीमा के मुद्दे का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाए।

11. पक्षों के वकील की सहमति से, हम इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं, जो 1996 अधिनियम (संशोधित) की धारा 12 के तहत की जाने वाली घोषणाओं के अधीन है। )मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में, और 1996 अधिनियम की धारा 29ए द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में।

12. मध्यस्थता समझौते में कहा गया है कि मध्यस्थता सिंगरौली, मध्य प्रदेश को हरा देगी। नतीजतन, मध्यस्थता की सीट सिंगरौली में है, जो पार्टियों की सहमति से किए जाने वाले किसी भी संशोधन के अधीन है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थ मध्यस्थ और पार्टियों की सुविधा के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर कार्यवाही आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।

मध्यस्थ को 1996 अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। दोनों पक्ष मध्यस्थता की लागत को समान रूप से साझा करेंगे।

13. रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे, पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित पते पर भेजने का निर्देश दिया जाता है:

“श्री। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे,

पूर्व न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

सी-203, द्वितीय तल

सर्वोदय, एन्क्लेव नई दिल्ली - 110017

दूरभाष संख्या: 011-40254823

मोबाइल नंबर: 7042955488"

पार्टियों को 02.12.2019 को दोपहर 2 बजे विद्वान मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

मामले को तदनुसार निपटाया जाता है।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।